न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – कैलाश बैरवा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 01/2020
रजि.संख्या : 2020/00014

प्रार्थी :-		अप्रार्थी :-
राजस्थान राज्य जरिये, प्रवर्तन अधिकारी छोटी सरवन, जिला रसद कार्यालय बांसवाड़ा	बनाम	1. श्री गोविन्द सिंह ग्राम सरपंच खजुरी ग्राम पंचायत खजुरी, जिला बांसवाड़ा (राज.)

निर्णय

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा, 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित लिक्युफाईड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000

दिनांक :– 25.02.2020

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पुलिस थाना दानपुर द्वारा डिटेन किये गये 38 घरेलु गैस सिलेण्डरों के जब्त किये जाने की सूचना देने पर जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्देश पर श्री पवन अग्रवाल बाहैसियत प्रर्वतन अधिकारी छोटीसरवन बॉसवाडा दिनांक 19.12.2019 को बहमराह श्री धर्मेन्द्र रोत प्रर्वतन निरीक्षक के साथ पुलिस थाना दानपुर पहुचे। थानाधिकारी पुलिस थाना दानपुर द्वारा तहरीर क्रमांक 3529 दिनांक 19.12.2019 अनुसार दिनांक 18.12.2019 को ग्राम पंचायत खजुरी स्थित ग्राम पंचायत परिसर में स्थित राजकीय भवन में अवैध शराब के भण्डारण की सूचना प्राप्त होने पर परिसर की तलाशी करने पर 38 गैस सिलेण्डर पाये गये, जिन्हे फर्द शराब की कार्यवाही के दौरान जब्त किया जाकर पुलिस थाना दानपुर में प्रकरण सं. 262/2019 दर्ज की गई। उक्त प्रथम सूचना रिर्पोट आबकारी अधिनियम के साथ साथ 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत श्री गोविन्द सिंह ग्राम सरपंच खजुरी के विरुद्ध दर्ज की गई। पुलिस थाना के मालखाने में रखे उक्त 38 गैस सिलेण्डरो का निरीक्षण करने पर सभी गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा भराव क्षमता) धरेलू सिलेण्डर है। जिसमे से 37 सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के एवं 1 गैस सिलेण्डर एच.पी कम्पनी का है। उक्त जब्तशुदा सिलेण्डरो को तुलवाकर पुलिस थाना दानपुर से सुरक्षित स्थान पर रखवाने की दृष्टि से श्री प्रभुलाल / जीवा प्रोपराईटर मैसर्स सानिया भारत गैस ग्रामीण वितरक, छोटीसरवन को सुपूर्द किये गये। फर्द सुपूर्दगी अनुसार कुल 38 घरेलु गैस सिलेण्डरो में से 37 सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के है, जिनमे 29 सिलेण्डर भरे हुए है तथा 8 खाली है। एवं 1 सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी का है जो खाली है। उक्त सभी सिलेण्डरो में कुल एल.पी.जी की मात्रा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner

356.70 कि.ग्रा. है। सभी सिलेण्डरो मय एल.पी.जी. को प्रभुलाल को सुपूर्द कर अपने अधिकृत गोदाम में रखने हेतु निर्देशित किया गया।

इस प्रकार ग्राम पंचायत भवन में 38 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं उनमें भरी हुई 356.70 कि.ग्रा. एल.पी.जी का अवैध रुप से भण्डारण किया गया, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं आपुर्ति का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड–3, 4(2), 6 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत् प्रकरण प्रस्तुत कर उक्त 38 गैस सिलेण्डरों को राजसात करने के आदेश पारित करने निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी दिनांक 31.01.2020 को उपस्थित हुआ एवं जवाब प्रस्तुत करने व वकील नियुक्ति हेतु समय चाहने पर अप्रार्थी को दिनांक 14.02.2020 तक का समय दिया गया। दिनांक 14.02.2020 को अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब पेश नही किया गया एवं अनुपस्थित रहा है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी को इस सन्दर्भ में कुछ नही कहना है। पत्रावली दिनांक 24.02.2020 को प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी की अनुपस्थिति के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। दिनांक 24.02.2020 को विभागीय पेरोकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से 38 घरेलु सिलेण्डर जिनमे से 29 भरे हुए 9 खाली जो ग्राम पंचायत खजुरी स्थित ग्राम पंचायत परिसर में स्थित राजकीय भवन में पाये जाने से अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का भण्डार किया जाना पाया गया। चूंकि एल.पी.जी अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ है इसलिए प्रकरण के अन्तिम निरस्तारण से पूर्व हम इनका अन्तरिम निरस्तारण किया जाना उचित समझते है।

अतः जब्त शुदा 38 घरेलु सिलेण्डर जिनमे से 29 भरे हुए 9 खाली गैस सिलेण्डरो को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें। जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा यह सुनिश्चित करे कि सक्षम न्यायालय द्वारा इन सिलेण्डरो को मांगे जाने पर उपलब्ध करायेंगे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश बैरवा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बॉसवाड़ा (राज.)

क्रमांक :- एफ ( ) वाचक / Case No. 01/2020 / 187 दिनांक :- 25 फरवरी, 2020

प्रकरण संख्या : 01 / 2020
निर्णय दिनांक : 25–02–2020

जिला रसद अधिकारी
बॉसवाडा

उनवान

प्रवर्तन अधिकारी, छोटी सरवन बॉसवाडा **बनाम** श्री गोविन्द सिंह ग्राम सरपंच ग्राम पंचायत खजुरी।

विषय :- निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 01/2020 उनवान प्रवर्तन अधिकारी, छोटी सरवन बॉसवाडा बनाम श्री गोविन्द सिंह ग्राम सरपंच ग्राम पंचायत खजुरी अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सहपठित लिक्यूफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 में निर्णय दिनांक 25–02–2020 की प्रति इसके संलग्न पालनार्थ भिजवाई जा रही है।

अत: कृपया पालना से अवगत करावें।

संलग्न– उक्तानुसार निर्णय की प्रति।

आज्ञा से,
वाचक
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Bairwa
Date: 2020.02.28 10:42:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: